प्रकरण संख्या–10/2015

तारीख रजु–15.05.2015

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु कुमार आई.ए.एस.

उनवान

गौरव जादौन पुत्र श्री रविन्द्र कुमार सिंह जाति राजपूत आयु 27 साल निवासी सलैदी वाला रावल अनाज मण्डी करौली, तहसील व जिला करौली – अपीलाण्ट

बनाम

आयुक्त नगर परिषद, करौली – रेस्पोडेण्ट

अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 22.09.2012 जिसके तहत प्रार्थी अपीलाण्ट की मंजूरी की दरख्वास्त खारिज की गई।

निर्णय

दिनांक–29.01.2018

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी ने विवादित जमीन साविक मालिक श्यामा देवी से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा कीमतन खरीद की है और इस खरीदशुदा जमीन पर अपीलार्थी पुराने निर्माण को हटाकर नये सिरे से निर्माण कर रहा है जिसके संबंध में प्रार्थी ने रेस्पोण्डेण्ट के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसको एल.ए. नगर परिषद करौली की रिपोर्ट के आधार पर खारिज किया गया है जबकि एल.ए. की रिपोर्ट में सन् 2001 के मुकदमों का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट गलत आधारों पर पेश की थी। सन् 2001 में प्रार्थी के खिलाफ कोई मुकदमा किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं था ना ही प्रार्थी को पाबंद किया गया था फिर भी एल.ए. की गलत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है जो मंसूख होने योग्य है। सन् 2001 के मुकदमें में जो विवादित जायदाद थी तथा जो पक्षकार थे उनसे मुझ प्रार्थी का कोई संबंध नहीं है। सन् 2001 का मुकदमा विवादित जमीन में नहीं था। एल.ए. नगर परिषद करौली की रिपोर्ट में कटला दुकान का निर्माण का जिक्र आया है जो गलत है। मुझ अपीलाण्ट के द्वारा मेरे खरीदशुदा जमीन में कटला बनाया जाना गलत दर्ज किया है। मंजूरी के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शों में भी कोई दुकान निर्माण करना दर्ज नहीं किया है। गोविन्द प्रसाद वगैरह की अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र न्यायालय सिविल जज (क.ख.) द्वारा दिनांक 16.03.12 को खारिज कर दिया है जिसकी नकल भी प्रार्थी ने रेस्पोण्डेण्ट के कार्यालय में पेश कर दी थी जिसे भी रेस्पोण्डेण्ट ने व एल.ए. नगर परिषद द्वारा नजर अंदाज करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। प्रार्थी के खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा लंबित नहीं है। जो दावा गोविन्द बनाम बैजनाथ चल रहा है वह मेरे खिलाफ नहीं है। मेरे पिता रविन्द्र कुमार के खिलाफ है। रविन्द्र कुमार का इस प्रार्थना पत्र में व विवादित जमीन में किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। इसलिये रेस्पोण्डेण्ट द्वारा एल.ए. नगर परिषद द्वारा यह कहना कि मुझ अपीलाण्ट के खिलाफ अदालत में मुकदमें चल रहे हैं, यह गलत दर्ज किया है और गलत आधार पर मेरा प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। प्रार्थी द्वारा जिस तरफ कमरे बनाये जा रहे हैं, उस तरफ प्रार्थी की व्यक्तिगत मिल्कियत व रास्ता छोडने के बाद सड़क सरकारी सीमेण्टेड है जो सरकारी है। किसी अन्य व्यक्ति का उससे

जिला कलक्टर
करौली

कोई ताल्लुक नहीं है। रास्ते की तरफ दरवाजा निकालने का व खिड़की, परनाले, छज्जे, रोशनदान, निकालने का पूर्ण अधिकार है जिसको रोकने का किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है। सरकारी रास्ते का उपयोग उपभोग करने का सभी व्यक्तियों को पूर्ण अधिकार होता है। प्रार्थी द्वारा अपने जीर्ण–शीर्ण मकान को उधडवा कर उसी जगह पर निर्माण किया जा रहा है। इस मकान में पहले भी रास्ते की ओर खिड़की परनाले, दरवाजे रहे हैं जिसको भी निर्णय करते समय रेस्पोण्डेण्ट ने नजरअंदाज किया है। मुताबिक नगर पालिका अधिवक्ता रेस्पोण्डेण्ट द्वारा निर्माण करने से पहले कोई मौके की मौके के अनुसार रिपोर्ट नहीं मंगायी गयी है जो कानूनन आवश्यक थी। रेस्पोण्डेण्ट द्वारा निर्णय करते समय निर्माण कमेटी की भी कोई राय नहीं ली है। रेस्पोण्डेण्ट ने अकेले ही गैर कानूनी तरीके से आरबीट्रेटरी पक्षपात पूर्ण आदेश दिया है। प्रार्थी अपीलाण्ट को निर्णय जैर अपील की कोई जानकारी सूचना रेस्पोण्डेण्ट द्वारा नहीं दी गयी ना ही नोटिस दिया और गलत तरीके से प्रार्थी से छिपाकर बिना कोई कानूनन अधिकार के निर्माण मंजूरी की पत्रावली को निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर को प्रार्थना पत्र एकतरफा निरस्त करने के बाद भिजवा दिया था जिसकी भी सूचना प्रार्थी अपीलाण्ट को रेस्पोण्डेण्ट द्वारा नहीं दी गयी और प्रार्थी को उक्त निर्णय की सूचना नहीं हो पाई। दिनांक 15.04.15 को प्रार्थी ने नगर परिषद करौली में जाकर अपनी निर्माण मंजूरी की पत्रावली को तलाश किया तो पता चला कि पत्रावली में दिनांक 22.09.12 को मेरा प्रार्थना पत्र खारिज करके यह पत्रावली बिना किसी कारण के निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपूर को भेज दी गई थी जो वापिस आ चुकी है तथा आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 22.09.12 को निरस्त हो चुका है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने एवं आदेश दिनांक 22.09.12 को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर शामिल पत्रावली की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी ने विवादित जमीन साविक मालिक श्यामा देवी से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा कीमतन खरीद की है और इस खरीदशुदा जमीन पर अपीलार्थी पुराने निर्माण को हटाकर नये सिरे से निर्माण कर रहा है जिसके संबंध में प्रार्थी ने रेस्पोण्डेण्ट के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसको सन् 2001 में प्रार्थी के खिलाफ कोई मुकदमा किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं होने ना ही प्रार्थी को पाबंद किया जाने के बाबजूद एल.ए. की गलत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है जो मंसूख होने योग्य है। सन् 2001 के मुकदमें में जो विवादित जायदाद थी तथा जो पक्षकार थे उनसे मुझ प्रार्थी का कोई संबंध नहीं है। एल.ए. नगर परिषद करौली की रिपोर्ट में मुझ अपीलाण्ट के द्वारा मेरे खरीदशुदा जमीन में कटला बनाया जाना गलत दर्ज किया है। मंजूरी के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शों में भी कोई दुकान निर्माण करना दर्ज नहीं किया है। गोविन्द प्रसाद वगैरह की अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र, जो मेरे पिता रविन्द्र कुमार के खिलाफ है, न्यायालय सिविल जज (क.ख.) द्वारा दिनांक 16.03.12 को खारिज कर दिया है जिसकी नकल भी प्रार्थी ने रेस्पोण्डेण्ट के कार्यालय में पेश कर दी थी जिसे भी रेस्पोण्डेण्ट ने व एल.ए. नगर परिषद द्वारा नजर अंदाज करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। प्रार्थी के खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा लंबित नहीं है। रविन्द्र कुमार

जिला कलक्टर
करौली

का इस प्रार्थना पत्र में व विवादित जमीन में किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। इसलिये रेस्पोण्डेण्ट द्वारा एल.ए. नगर परिषद द्वारा यह कहना कि मुझ अपीलाण्ट के खिलाफ अदालत में मुकदमें चल रहे हैं, यह गलत दर्ज किया है। प्रार्थी द्वारा जिस तरफ कमरे बनाये जा रहे हैं, उस तरफ प्रार्थी की व्यक्तिगत मिल्कियत व रास्ता छोडने के बाद सड़क सीमेण्टेड है जो सरकारी है। किसी अन्य व्यक्ति का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। सरकारी रास्ते का उपयोग उपभोग करने का सभी व्यक्तियों को पूर्ण अधिकार होता है। प्रार्थी द्वारा अपने जीर्ण–शीर्ण मकान को उधडवा कर उसी जगह पर निर्माण किया जा रहा है। इस मकान में पहले भी रास्ते की ओर खिड़की परनाले, दरवाजे रहे हैं जिसको भी निर्णय करते समय रेस्पोण्डेण्ट ने नजरअंदाज किया है। मुताबिक नगर पालिका अधिवक्ता रेस्पोण्डेण्ट द्वारा निर्माण करने से पहले कोई मौके की मौके के अनुसार रिपोर्ट नहीं मंगायी गयी है जो कानूनन आवश्यक थी। रेस्पोण्डेण्ट द्वारा निर्णय करते समय निर्माण कमेटी की भी कोई राय नहीं ली है। रेस्पोण्डेण्ट ने अकेले ही गैर कानूनी तरीके से आरबीट्रेटरी पक्षपात पूर्ण आदेश दिया है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने एवं आदेश दिनांक 22.09.12 को खारिज किये जाने का कथन किया है।

वकील रेस्पोण्डेण्ट का बहस में कथन है कि प्रार्थना पत्र नियमानुसार खारिज किया गया है जिस पर गोविन्द वगैरह द्वारा आक्षेप किया गया था कि अपीलाण्ट कटला दुकानों का निर्माण कर रहे हैं जिसके बाबत् उन्होंने माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) करौली में प्रार्थना पत्र पेश किया था एवं अदालत में लंबित होना बताया था। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं तथ्यों पर पुनः विचार किये जाने की आवश्यकता है। अतः प्रकरण में पुनः जांच एवं परीक्षण कर निर्णय पारित करने हेतु अपील को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। पत्रावली इस निर्देश के साथ आयुक्त, नगर परिषद, करौली को रिमाण्ड की जाती है कि प्रकरण में पुनः जांच एवं परीक्षण किया जाकर गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत् स्पीकिंग आदेश पारित करे। निर्णय की प्रति आयुक्त, नगर परिषद, करौली की पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2018 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अभिमन्यु कुमार)
जिला कलक्टर
करौली

जिला कलक्टर
करौली